राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, रेजीडेन्सी एरिया, 22 गोदाम, जयपुर
email- scholarship.sje@rajasthan.gov.in Phone 0141-2226997

क्रमांक : F9(4)Sch/AY 2026-27(2)/04969-9928645 दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2026–27 में राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में यथा अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय तथा मिरासी एवं भिश्ती समुदाय योजना में राज्य की राजकीय / निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय / राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित / अध्ययनरत (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों से बेव पोर्टल www.sjmsnew. rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेई एप के माध्यम से ऑनलाईन पेपरलैस छात्रवृति आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :–

क्र.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियाँ
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु छात्रवृति पोर्टल पर राजकीय (नवीन)/निजी मान्यता प्राप्त **शिक्षण संस्थाओं** के पंजीयन/नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आदि अद्यतन करने हेतु पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि	01 अगस्त 2026
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु छात्रवृति पोर्टल पर राजकीय (नवीन)/निजी मान्यता प्राप्त **शिक्षण संस्थाओं** के पंजीयन/नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आदि अद्यतन करने हेतु अन्तिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	30 सितम्बर 2026
3	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत **विद्यार्थियों** के द्वारा पेपरलैस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवदेन पत्र करने के लिए पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि	15 अगस्त 2026
4	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत **विद्यार्थियों** के द्वारा पेपरलैस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवदेन पत्र करने के लिए अन्तिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	31 अक्टूबर 2026

विभागीय छात्रवृति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2026–27 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :–

1. <u>आय सीमा</u> :–

(अ) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति. पिछडा वर्ग (MBC) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC), डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT), मिरासी एवं भिश्ती समुदाय हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

(ब) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 5.00 लाख रु. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

2. आवेदन प्रक्रिया :–

- विभागीय छात्रवृति योजना में आवेदन किये जाने से पूर्व विद्यार्थी के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाईट https://scholarships.gov.in/otrapplication/#/login-page अथवा NSP OTR APP के माध्यम से OTR (One Time Registration) किया जाना होगा। OTR की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विद्यार्थी को "NSP OTR APP" एवं "AadharfaceRD" APP डाउनलोड कर e-KYC एवं Face Authentication किया जाना अनिवार्य है।
- विद्यार्थी ई–मित्र/साइबर कैफे /स्वंय की एस.एस.ओ. आई. डी. के माध्यम से Biomatric Authentication अथवा Face Authentication उपरान्त ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन करने पर समस्त प्रविष्टियों की जांच विद्यार्थी स्वंय कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र में सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाईन फाइनल सबमिट करें।

3. छात्र/छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी स्वंय की ही दें।

4. <u>दस्तावेज</u> :–

उक्तानुसार छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएं तैयार रखना आवश्यक होगा सभी दस्तावेज जनाधार/राज ई वोल्ट/डीजी लॉकर से ऑनलाइन ही लिये जाएंगे जैसे <u>आय का विवरण मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र गत वर्ष की अंकतालिकाएं</u> आदि। वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर <u>मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।</u>

5. <u>विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना एवं आय विवरण में परिवर्तन :–</u>

नाम, जाति, लिंग आयु पिता का नाम, माता का नाम धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई

भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकार्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।

6. जनाधार आईडी तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेंगी।

7. <u>विद्यार्थी का बैंक विवरण :–</u>

विद्यार्थी का बैंक खाता आधार सीडेड एवं DBT- enbled होना अनिवार्य (यह प्रक्रिया खाता आधार लिंक से भिन्न है, कृपया बैंक से संपर्क कर बैंक खाता आधार सीडेड करवायें), KYC पूर्ण होना, ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई सीमा का निर्धारण न हो. खाता बन्द न हो एवं बैंक खाता माईनर न हो।

8. <u>शुल्क संरचना :–</u>

शिक्षण संस्थान पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क संरचना पेज पर अंकित 8 मद यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), 3. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), 4. खेल–कूद शुल्क (Games Fee), 5. संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), 6. पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), 7. पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), 8. परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का विवरण अंकित करेंगे। जिसके अनुसार ही उस पाठयक्रम के समस्त विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत छात्रवृति देय होगी। अतः शैक्षणिक संस्थान इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।

9. <u>शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन</u>

आवेदन में केवल छात्रवृत्ति पोटल पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान व उसके पाठ्यक्रम आवेदन हेतु प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी को प्रशैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान / पाठ्यक्रम /योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।

10. <u>विद्यार्थी की बायोमैट्रिक उपस्थिति</u>

विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेषित किये जाने के पश्चात से ही विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक छात्रवृति पोर्टल पर बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। जिसके अभाव में आवेदन अग्रेषित एवं स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमैट्रिक उपस्थिति डिवाइस पंजीकृत किया जाना होगा।

11. <u>शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन</u>

जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2026–27 की मान्यता /सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेंगे। अतः शिक्षण संस्थानों को छात्रवृति पोर्टल पर पंजीयन करने से पूर्व निम्न अर्हता प्राप्त कर छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन किया जाना अनिवार्य है

A. शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए संबधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल से महाविद्यालय की मान्यता संचालित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रमवार स्वीकृत सीटों की अनुमति प्राप्त करना।

B. छात्रवृति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों द्वारा केवल AISHE Code अथवा नियामक एजेन्सी द्वारा जारी कोड के माध्यम से ही ऑनलाईन पंजीयन किया जावेगा।

C. शिक्षण संस्थान के स्तर पर विद्यार्थी की आधार बेस्ड रियलटाइम बायोमैट्रिक उपस्थिति हेतु शिक्षण संस्थान को विभाग द्वारा केवल एक ही स्टेटिक आईपी एड्रेस अनुमत किया जायेगा। परन्तु संस्थान में 500 से अधिक छात्रवृति आवेदन होने की स्थिति में प्रति 500 आवेदकों के गुणक के रूप में एक से अधिक आई.पी. विभाग द्वारा अनुमत की जा सकेगी। अतः उक्त से संबंध में वांछित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

D. छात्रवृति आवेदन की प्राप्ति से स्वीकृति तक अथवा सत्र पूर्ण होने तक, में से जो भी पहले हो के दौरान संस्थान द्वारा विद्यार्थी की उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमैट्रिक मशीन के जरिये सुनिश्चित की जायेगी, जिसे छात्रवृति पोर्टल से रियल टाईम इंटरलिक किया जायेगा। अत उक्त के संबंध में वांछित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12. शिक्षण संस्थान जिस जिले में स्थित है विद्यार्थी का आवेदन पत्र उस जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। जयपुर जिले में सांगानेर झोटवाडा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (सांगानेर, झोटवाडा एवं आमेर तहसीलों को छोड़कर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय द्वारा निस्तारित किये जायेंगे ।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं से संबंधित केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आद्यतन दिशा–निर्देश की विस्तृत जानकारी के लिए www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय वेबसाइट sje.rajasthan. gov.in का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लेवें।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : F9(4)Sch/AY 2026-27(2)/04969-9928645 दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर्स/कोषाधिकारी, (समस्त) ।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास ।
11. अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति/देवनारायण/पिछड़ी जाति), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

12. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/ काउंसिल, समस्त।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/ संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त**...।**
14. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल / स्नातकोत्तर / स्नातक महाविद्यालय समस्त....।
15.प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय / राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त।
16. अधीक्षक, राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त..।
17. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं...।
18. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार एवं शैक्षणिक सत्र 2026–27 से छात्रवृति पोर्टल पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नवीन निर्देशानुसार 10 प्रतिशत दिव्यांग भत्ता का प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई–मेल करवाने हेतु।
19.उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
20.उप निदेशक (छात्रवृति) / सहायक निदेशक (छात्रवृति), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
21.संयुक्त / उप / सहायक / जि.प. एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त..........।)
22.रक्षित पत्रावली ।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव